

एफ.सं.370142/32/2025-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (टीपीएल प्रभाग)

दिनांकित: 02 सितंबर, 2025

विषय:- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 09.05.2022 के परिपत्र संख्या 9/2022 (एफ.सं.370142/2/2022-टीपीएल) में संशोधन - के संबंध में

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') के दिनांक 09.05.2022 के परिपत्र संख्या 9/2022 (एफ.सं.370142/2/2022-टीपीएल) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10 के खंड (23चड़) के अंतर्गत दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

2. वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से अधिनियम की धारा 10 के खंड (23चड़) में संशोधन किया गया है, ताकि उक्त खंड के अंतर्गत निवेश की तिथि को 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 किया जा सके। उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

3. उपरोक्त के संदर्भ में, उक्त परिपत्र के प्रारंभिक पैरा में उल्लिखित दिनांक 31.03.2024 तथा पैरा 4.6.2 और 4.6.3 में उल्लिखित दिनांक 31 मार्च, 2024 का संदर्भ, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी रूप से 31 मार्च, 2030 के रूप में पढ़ा जाएगा।

(रोहित सिंह)
अवर सचिव (टीपीएल-I)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली

प्रतिलिपि भेजी जाती है:

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी एवं राज्य वित्त मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी
2. वित्त सचिव के निजी सचिव।
3. राजस्व सचिव के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
5. संयुक्त सचिव/प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियाँ)
7. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. भारत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
9. अपर आयुक्त (प्रशासन एवं कर नीति), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता।
10. प्रधान महानिदेशक (प्रणाली), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु

(रोहित सिंह)
अवर सचिव (टीपीएल-I)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली